

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022—आषाढ़ 3, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जून 2022

क्र. एफ-ए-3-11-2017-1-पांच-(37).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-11-2017-1-पांच (22), दिनांक 12 जून 2017 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के क्रमांक 261 पर प्रकाशित की जा चुकी है, में निम्न शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है, अर्थात्:—

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 521 पर, पंक्ति 3 में, शब्द तथा अंक "अनुसूची 2" के स्थान पर "अंकसूची एक और दो" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2022

क्र. एफ-ए-3-11-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धि-पत्र क्रमांक एफ-ए-3-11-2017-1-पांच (37), दिनांक 24 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal. the 24th June 2022

No. F-A-3-11-2017-1-V (37).—In this department's notification No. F A-3-11-2017-1-V(22), date 12th June 2017, published in the Madhya Pradesh Rajpatra (Extraordinary) Serial No. 261 dated 12th June 2017, following corrigendum is hereby published, namely:—

CORRIGENDUM

In page 522 (I), in sixteen line, for the word and number “schedule II” read “schedule I and II”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.